एन. आर. निर्माण पी. वी. टी. लिमिटेड

बनाम

श्री राम बदन सिंह और अन्य

अक्टूबर 9, 2007

[तरुण चटर्जी और पी. सतशिवम, जे. जे.]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908- आदेश 21 नियम 18 और 19- प्रयोज्यता- क्रास अधिनिर्णय के समायोजन के लिए-निर्णीत किया गया कि आदेश 18 एवं 19 लामू नही होते है क्योकि प्रार्थना पत्र एक ही आरबिट्रेशन के दो अधिनिर्णय के सम्बंध मे था- प्रार्थना पत्र, पक्षकारान के मध्य धन के भुगतान के अलग अलग मुकदमों की क्राॅस डिक्री के निष्पादन अथवा ऐसी डिक्री के निष्पादन जिसमे दो पक्ष धन की वसूली के हकदार हो, के लिए नही था- साथ ही अंतरिम अधिनिर्णय एवं अंतिम अधिनिर्णय के सम्बंध मे आपत्ति याचिका भी उच्चतम न्यायालय सहित अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा खारिज की गयी है।

इस अपील मे विचार के लिए जो प्रश्न उठा, वह यह था कि क्या सिविल प्रक्रिया सहिंता के आदेश 21 नियम 18 व 19 के प्रावधान अपीलार्थी द्वारा दवा किये गये क्रॉस अधिनिर्णय के समायोजन के मामले मे लागू होते है।

अपील को खारिज करते हुए न्यायालय ने निर्णीत किया

1.1 नियमों को पढ़ने से, यह स्पष्ट है कि नियम 18 उस मामले में लागू होता है, जहां बीच में पारित दो धनराशि के भुगतान के लिए अलग-अलग मुकदमों में क्रॉस-डिक्री के निष्पादन के लिए अदालत में आवेदन किए जाते हैं। समान पक्ष और नियम 19 उस मामले में लागू होता है जहां एक डिक्री के निष्पादन के लिए न्यायालय में आवेदन किया जाता है जिसके तहत दो पक्ष धनराशि की वसूली के हकदार होते हैं। जैसा कि वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय ने ठीक ही कहा है, न तो आवेदन पार्टियों के बीच पैसे के भुगतान के लिए अलग-अलग मुकदमों में क्रॉस-डिक्री के निष्पादन के लिए किया गया है और न ही आवेदन किसी डिक्री के निष्पादन के लिए है जिसमें पार्टियां एक-दूसरे से धन की वसूली करने की हकदार हैं। हमारी राय में, मौजूदा मामले में, प्रस्तुत विवरण स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि आवेदन एक ही मध्यस्थता मामले में दो पुरस्कारों के संबंध में थे और इस तरह सीपीसी के आदेश XXI के नियम 18 और 19 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

1.2 इसका उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि आपत्ति याचिका में अधिनियम की धारा 34 के तहत अंतरिम पुरस्कार और अंतिम पुरस्कार से संबंधित मामला अधीनस्थ न्यायालय, बोकारो के समक्ष विचार के लिए आया। उक्त आपत्ति याचिका 27.6.2003 को खारिज कर दी गई और

दायर अपील का भी झारखंड उच्च न्यायालय के हाथों वही परिणाम मिला। इस न्यायालय ने भी ब्याज दर को छोड़कर उच्च न्यायालय के आदेश की पुष्टि की। इन सामग्रियों और इस न्यायालय सहित पहले के आदेशों और दिनांक 19.04.1997 और 25.11.2000 के पुरस्कारों के विभिन्न खंडों के प्रकाश में, विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश ने अपीलकर्ता द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश द्वारा उक्त तथ्यात्मक निष्कर्ष को स्वीकार कर लिया और पुनरीक्षण को खारिज कर दिया। दोनों निष्पादन मामलों में प्रस्तुत तथ्यात्मक विवरण के आधार पर निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए, नीचे दिए गए न्यायालयों के उक्त निष्कर्ष से सहमत है।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील संख्या 4737/2007

झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची द्वारा सीआर संख्या 65/2006 में पारित अतिम निर्णय/आदेश दिनांक 19-07-2006 से।

अपीलार्थी की ओर से डॉ. आर. जी. पाडिया, अभिषेक सिंह और प्रवीण अग्रवाल।

प्रत्यर्थियों की ओर से भास्कर पी. गुप्ता, आशीष वर्मा, के. दत्ता और के. वी. मोहन।

न्यायालय का निर्णय पी. सदाशिवम, न्यायाधीश द्वारा दिया गया-

1) अनुमति प्रदान की गयी।

2) यह अपील झारखंड उच्च न्यायालय, रांची द्वारा 2006 की सीआर संख्या 65 में पारित दिनांक 19.07.2006 के फैसले के खिलाफ निर्देशित है, जिसके तहत विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 28.06.2006 के आदेश के खिलाफ अपीलकर्ता द्वारा दायर सिविल रिवीजन को खारिज कर दिया था। 2001 के निष्पादन मामले संख्या 2 में अधीनस्थ न्यायाधीश- I, बोकारो द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXI नियम 18 और 19 के प्रावधानों के तहत क्रॉस-अवार्ड के समायोजन के लिए अपीलकर्ता की प्रार्थना को खारिज कर दिया गया।

3) इस अपील में अन्य बातों के साथ-साथ एकमात्र प्रश्न यह उठता है कि क्या सीपीसी के आदेश XXI नियम 18 और 19 के प्रावधान क्रॉस-अवार्ड के समायोजन के मामले में लागू होते हैं जैसा कि यहां अपीलकर्ता ने दावा किया है?

4) अपीलकर्ता ने उत्तरदाताओं के साथ एक साझेदारी में प्रवेश किया और 14.04.1992 को एक साझेदारी विलेख निष्पादित किया गया। साझेदारी का उद्देश्य कुछ अनुबंध कार्य को पूरा करना था जो अपीलकर्ता ने प्राप्त किया था। मध्यस्थता के लिए प्रदान किए गए समझौते की शर्तों में से एक, यानी - कि यदि भागीदारों के बीच कोई विवाद है, तो उसे भागीदारों द्वारा नियुक्त मध्यस्थ/मध्यस्थों को भेजा जा सकता है जो

प्रावधानों के अनुसार नामों का फैसला करेंगे। भारतीय मध्यस्थता अधिनियम, यदि अन्यथा नहीं, तो भागीदारों द्वारा आपसी सहमति से तय किया जाता है।

5) चूँकि वर्ष 1995 में साझेदारों के बीच उत्पन्न विवादों का निपटारा आपसी सहमति से नहीं हो सका और कार्य पूरा नहीं हो सका, इसलिए साझेदारों ने आपसी सहमति से चार व्यक्तियों को मध्यस्थ नियुक्त किया। 19.04.1997 को मध्यस्थों ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना निर्णय प्रस्तुत किया। इस बात का कोई विशेष संदर्भ नहीं है कि यह पुरस्कार अंतरिम पुरस्कार है या अंतिम पुरस्कार। अपीलकर्ता के अनुसार, दिनांक 19.04.1997 के फैसले पर पार्टियों द्वारा कार्रवाई की गई और उनमें से किसी ने भी इसे कभी चुनौती नहीं दी। इसके बाद, मध्यस्थों ने विभिन्न निर्णय पारित किये। इसमें कोई विवाद नहीं है कि 19.4.1997 के बाद पारित किए गए किसी भी पुरस्कार को किसी भी पक्ष द्वारा कभी चुनौती नहीं दी गई। अंततः 25.11.2000 को मध्यस्थों ने एक निर्णय पारित किया। अपीलकर्ता के अनुसार, इस पुरस्कार में,

6) अपीलकर्ता ने, दिनांक 25.11.2000 के फैसले से व्यथित होकर, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (बाद में इसे अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 34 के तहत एक आवेदन दायर किया। प्रतिवादियों ने दिनांक 25.11.2000 के पुरस्कार को लागू करने के लिए 2001 का

निष्पादन मामला संख्या 2 दायर किया। दिनांक 27.6.2003 के आदेश द्वारा, अधिनियम की धारा 34 के तहत अपीलकर्ता द्वारा दायर आवेदन को विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दिया गया था। 1.7.2003 को, अपीलकर्ता ने दिनांक 19.4.1997 के पुरस्कार को लागू करने के लिए 2003 का निष्पादन मामला संख्या 5 दायर किया। धारा 34 के तहत दायर आवेदन को खारिज करने के खिलाफअधिनियम के अनुसार, 26.8.2003 को, अपीलकर्ता ने रांची में झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष 2001 की मध्यस्थता अपील संख्या 6 दायर की। दिनांक 29.4.2004 के आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने उक्त अपील को खारिज कर दिया। उक्त आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका भी इस न्यायालय द्वारा 10.1.2005 को ब्याज दर में संशोधन के साथ खारिज कर दी गई थी।

7) उत्तरदाताओं ने 2003 के निष्पादन मामले संख्या 5 में सीपीसी की धारा 47 के तहत आपत्ति दर्ज की। उक्त आपत्ति को विविध के रूप में क्रमांकित किया गया था। 2005 का केस नंबर 7 निष्पादन न्यायालय के समक्ष उत्तरदाताओं का मामला यह था कि 19.04.1997 का तथाकथित पुरस्कार कार्य के सफल समापन के लिए मध्यस्थों के एक अनंतिम निर्देश के अलावा कुछ नहीं था और इसे अंतरिम नहीं माना जा सकता है। पुरस्कार और एक मध्यस्थ पुरस्कार के रूप में लागू करने योग्य नहीं था। पुरस्कार दिनांक 19.04.1997 में दिये गये सभी निर्देश दिनांक

25.11.2000 के पुरस्कार में समाहित हो गये हैं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद, निष्पादन न्यायालय ने आदेश दिनांक 27.5.2005 द्वारा विविध को खारिज कर दिया। 2005 के केस नंबर 7 में कहा गया है कि अंतरिम पुरस्कार निष्पादन योग्य नहीं था। इससे व्यथित होकर, प्रतिवादी नंबर 1 ने सीआरएनओ को प्राथमिकता दी। 2005 का 75. हालाँकि सिविल रिवीजन स्वीकार कर लिया गया है लेकिन आज तक निष्पादन पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। इसके बाद, अपीलकर्ता ने सीपीसी के आदेश XXI नियम 18 और 19 के तहत एक आवेदन दायर किया। 2001 के निष्पादन प्रकरण संख्या 2 में अधिनियम की धारा 36 में राशि के समायोजन और राशि की पूर्ण संतुष्टि की रिकॉर्डिंग के लिए। आदेश दिनांक 28.6.2006 द्वारा, निष्पादन न्यायालय ने यह पाते हुए कि आदेश XXI नियम 18 और 19 के तहत क्रॉस-डिक्री का प्रश्न सुनवाई योग्य नहीं है, उक्त आवेदन को खारिज कर दिया। उक्त आदेश पर सवाल उठाते हुए अपीलकर्ता ने सीआरएनओ को प्राथमिकता दी। 2006 का 65, रांची में झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष। दिनांक 19.07.2006 के आक्षेपित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण को खारिज कर दिया। इसलिए, विशेष अनुमति के माध्यम से वर्तमान अपील इस न्यायालय के समक्ष दायर की गई है।

8) हमने अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील डॉ. आरजी पाडिया और उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री भास्कर पी. गुप्ता को सुना है।

9) यद्यपि दोनों पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने दिनांक 19.4.1997 और 25.11.2000 के पुरस्कारों और सीपीसी के आदेश XXI नियम 18 और 19 की प्रयोज्यता के बारे में विस्तृत प्रस्तुतियाँ दीं, यहाँ पारित होने वाले आदेश के आलोक में, हम उनका विचार है कि इसे पार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, प्रतिद्वंद्वी के दावे को समझने के लिए, आदेश XXI नियम 18 और 19 को देखना उपयोगी है जो निम्नानुसार हैं:

> "नियम 18. क्रॉस-डिक्री के मामले में निष्पादन- (1) जहां एक ही पक्ष के बीच पारित और निष्पादन में सक्षम दो धनराशि के भुगतान के लिए अलग-अलग मुकदमों में क्रॉस-डिक्री के निष्पादन के लिए न्यायालय में आवेदन किए जाते हैं। उसी समय ऐसे न्यायालय द्वारा
>
> (ए) यदि दोनों राशियाँ समान हैं, तो दोनों डिक्री पर संतुष्टि दर्ज की जाएगी; और
>
> (बी) यदि दो राशियाँ असमान हैं तो डिक्री धारक द्वारा केवल बड़ी राशि के लिए और उतनी ही राशि के लिए

निष्पादन किया जा सकता है जो छोटी राशि काटने के बाद बचता है, और छोटी राशि के लिए संतुष्टि डिक्री पर दर्ज की जाएगी बड़ी राशि के लिए और साथ ही छोटी राशि के लिए डिक्री पर संतुष्टि।

(2).................................

(3)................................

(4).................................

"नियम 19. एक ही डिक्री के तहत क्रॉस-दावों के मामले में निष्पादन जहां एक डिक्री के निष्पादन के लिए अदालत में आवेदन किया जाता है जिसके तहत दो पक्ष एक-दूसरे से धनराशि वसूलने के हकदार हैं, तो

(ए) यदि दोनों राशियाँ समान हैं, तो दोनों के लिए संतुष्टि डिक्री पर दर्ज की जाएगी; और

(बी) यदि दो राशियाँ असमान हैं, तो निष्पादन केवल बड़ी राशि के हकदार पक्ष द्वारा किया जा सकता है और उतनी ही राशि के लिए किया जा सकता है जो छोटी राशि काटने के बाद बचता है, और छोटी राशि के लिए संतुष्टि डिक्री पर दर्ज की जाएगी।"

दोनों विद्वान वरिष्ठ वकीलों ने निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया कि नियम 18 मौजूदा मामले पर लागू नहीं होता है। ऊपर से निकाले गए नियमों को पढ़ने से, यह स्पष्ट है कि नियम 18 उस मामले में लागू होता है, जहां बीच में पारित दो धनराशि के भुगतान के लिए अलग-अलग मुकदमों में क्रॉस-डिक्री के निष्पादन के लिए अदालत में आवेदन किए जाते हैं। समान पक्ष और नियम 19 उस मामले में लागू होता है जहां एक डिक्री के निष्पादन के लिए न्यायालय में आवेदन किया जाता है जिसके तहत दो पक्ष धनराशि की वसूली के हकदार होते हैं। जैसा कि वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय ने ठीक ही कहा है, न तो आवेदन पार्टियों के बीच पैसे के भुगतान के लिए अलग-अलग मुकदमों में क्रॉस-डिक्री के निष्पादन के लिए किया गया है और न ही आवेदन किसी डिक्री के निष्पादन के लिए है जिसमें पार्टियां एक-दूसरे से धन की वसूली करने की हकदार हैं। हमारी राय में, मौजूदा मामले में, प्रस्तुत विवरण स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि आवेदन एक ही मध्यस्थता मामले में दो पुरस्कारों के संबंध में थे और इस तरह सीपीसी के आदेश XXI के नियम 18 और 19 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। नीचे आपत्ति याचिका में इसका उल्लेख करना भी प्रासंगिक है हमारी राय में, मौजूदा मामले में, प्रस्तुत विवरण स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि आवेदन एक ही मध्यस्थता मामले में दो पुरस्कारों के संबंध में थे और इस तरह सीपीसी के आदेश XXI के नियम 18 और 19 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। नीचे आपत्ति याचिका में इसका उल्लेख करना भी प्रासंगिक

है हमारी राय में, मौजूदा मामले में, प्रस्तुत विवरण स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि आवेदन एक ही मध्यस्थता मामले में दो पुरस्कारों के संबंध में थे और इस तरह सीपीसी के आदेश XXI के नियम 18 और 19 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। नीचे आपत्ति याचिका में इसका उल्लेख करना भी प्रासंगिक है अधिनियम की धारा 34 के तहत अंतरिम पुरस्कार और अंतिम पुरस्कार से संबंधित मामला अधीनस्थ न्यायालय, बोकारो के समक्ष विचार के लिए आया। उक्त आपत्ति याचिका 27.6.2003 को खारिज कर दी गई और दायर अपील का भी झारखंड उच्च न्यायालय के हाथों वही परिणाम मिला।इस न्यायालय ने भी ब्याज दर को छोड़कर उच्च न्यायालय के आदेश की पुष्टि की।इन सामग्रियों और इस न्यायालय सहित पहले के आदेशों और दिनांक 19.04.1997 और 25.11.2000 के पुरस्कारों के विभिन्न खंडों के प्रकाश में, विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश ने अपीलकर्ता द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया।उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश द्वारा उक्त तथ्यात्मक निष्कर्ष को स्वीकार कर लिया और पुनरीक्षण को खारिज कर दिया।

10) नीचे दिए गए न्यायालयों के उक्त निष्कर्ष से सहमत होते हुए दोनों निष्पादन मामलों में प्रस्तुत तथ्यात्मक विवरण के आधार पर निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि दोनों पक्षों द्वारा भरोसा किए

गए विभिन्न निर्णयों को संदर्भित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी ओर, हम उक्त निष्कर्ष से सहमत हैं।

11) उपरोक्त चर्चा के आलोक में, अपील विफल हो जाती है और उसे खारिज कर दिया जाता है। लागत के रूप में कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

अपील खारिज

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी भरत भूषण शर्मा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।